डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय

करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 21(अ) / अका. / सी.वी.आर.यू. / 2008 बिलासपुर, दिनाँकः 11 / 07 / 2008

::— अधिसूचना —::

विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की दूसरी बैठक जिसका आयोजन दिनाँक 14 / 06 / 2008 को किया गया था, जिसमें पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रबंध मंडल में अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा विभाग की स्थापना की गयी।

सहा. कुलसचिव (अका.)

क्रमांक / 21(ब) / अका. / सी.वी.आर.यू. / 2008 बिलासपुर, दिनाँकः 11 / 07 / 2008

प्रतिलिपिः—

01. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक को माननीय कुलपति / कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
02. सहा. कुलसचिव (वित्त / प्रशासन / स्थापना / गोपनीय) डॉ सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. डायरेक्टर, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान को सूचनार्थ।
04. कार्यालय प्रति।

सहा. कुलसचिव (अका.)

Dr. C.V. Raman Univ...

Registr...

Kargi Roa...

14/06/12
विभाग

Second Board of Management Meeting of Dr. C.V. Raman University.

The Second Board of Management meeting of Dr. C.V. Raman University will be held on the 14th, June'2008 at 12:30 pm at Dr. C.V. Raman University Bilaspur. The Following members are Present:-

S.N.	Name		Sing.
1.	Prof. A.S. Zadgaonkar (vice chancellor)	- Chairman	
2.	Dr. Satyendra khare	- Member	
3.	Dr. Pradeep choubey	- Member	
4.	Dr. O.P. Chandrakar	- Member	
5.	Shri Rasid Khan	- Member	
6.	Shri Anuj Agnihotri	- Member	
7.	Shri Amitabh Saxena	- Member	
8.	Shri Shailesh Pandey (Registrar)	-(Member Secretary)	
9.	Shri Vineet Shukla	- CFAO	

The agenda of the meeting will be as follows.

1. Review of first session of University.
2. Approval of Annual Report
3. Planning for the New Courses.
4. Any Other issue with the Permission of the Chair.

डॉ॰सी॰वी॰रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड-कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की द्वितीय बैठक सम्पादित हुई उक्त बैठक में सचिव, श्री शैलेष पाण्डेय जी द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों के स्वागतोपरांत बैठक की कार्यवाही, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारंभ की गई, जिसका विवरण बिंदुवार निम्नानुसार

Dr. C.V. Raman University ★ Registrar ★ Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

है :-

01. **विश्वविद्यालय के प्रथम सत्र की प्रगति संबंधी समीक्षा :-**

उक्त बिन्दु पर श्री शैलेष पाण्डेय जी (सचिव) ने अध्यक्ष की अनुमति से विश्वविद्यालय की प्रगति से संबंधित ब्यौरा स्लाईड शो के माध्यम से सभी सदस्यों को दिखाया तथा उसका विश्लेषणात्मक ब्यौरा दिया। सभी सदस्यों ने विश्वविद्यालय की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

02. **विश्वविद्यालय का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (2007-08) का अनुमोदन :-**

विश्वविद्यालय का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (2007-08) के अनुमोदन हेतु, सभा में सचिव द्वारा पटल पर रखा गया, जिसमें विभागानुसार, उनकी समस्त शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारियाँ तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की जानकारी दी गयी, इसमें निम्नानुसार सुझाव दिया गया :-

(अ) डॉ. खरे, द्वारा प्रतिवेदन को हिन्दी भाषा में प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया, जिसका समर्थन सभी सदस्यों द्वारा किया गया।

(ब) विभागों की शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों संबंधी प्रगति का विवरण विभागवार करने हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय द्वारा सुझाव प्रस्तुत किया गया।

(स) विश्वविद्यालय की प्रगति व अन्य गतिविधियाँ जैसे कि क्रीड़ा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि को विभागवार न कर एक साथ प्रस्तुत करने का सुझाव सचिव, श्री शैलेष पाण्डेय द्वारा दिया गया।

(द) श्री चंद्राकर जी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन में तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के नाम भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया गया तथा अंकेक्षण रिपोर्ट भी संलग्न करने का सुझाव दिया।

Registrar
Dr. C.V. Raman University
Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

(ए) वार्षिक प्रतिवेदन में विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित जानकारी छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक परिदृश्य में विश्वविद्यालय का योगदान, विश्वविद्यालय की आगामी योजनायें, विश्वविद्यालय की अधोसंरचना विकास आदि को सम्मिलित करने का सुझाव श्री राशिद खान ने दिया।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर चर्चा कर सुझावों के अनुसार अध्यक्ष द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन में बदलाव करने हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया।

03. नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में :-

उक्त बिंदु के तारतम्य में सचिव महोदय ने अभियांत्रिकी संकाय के अन्तर्गत दो नये पाठ्यक्रमों यथा - 1. सिविल इंजीनियरिंग एवं, 2. मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्यों ने सराहा एवं अध्यक्ष महोदय ने इन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देश भी दिये।

उक्त पाठ्यक्रमों के अलावा सचिव महोदय द्वारा एयर होस्टेस एवं फैशन डिजायनिंग के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव रखा गया, इसके अलावा इंसोरेन्स सेक्टर में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु तथा डॉ. चन्द्राकर एवं अन्य सदस्यों द्वारा मास कम्युनिकेशन, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट एवं जर्नलिज्म जैसे पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु सुझाव दिया।

उक्त के अतिरिक्त हर वर्ष नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, जिससे अंचल के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने की सुविधा अंचल में ही मिल सके, प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव रखा गया, जिसे सदस्यों की राय से अध्यक्ष महोदय ने अनुमति प्रदान की [इसी क्रम में दूरस्थ शिक्षा विभाग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।]

Dr. C.V. Raman University
Registrar
Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

04. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव :-
अन्य संबंध में कोई प्रस्ताव रखा नहीं गया।

(श्री शैलेष पाण्डेय)
कुलसचिव
एवं
कार्यकारी सदस्य

(डॉ० ए० एस० झाड़गांवकर)
कुलपति
एवं
अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल
डॉ. सी० वी० रामन् विश्वविद्यालय
कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

Dr. C.V. Raman University
Registrar
Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

Third Board of Management Meeting of Dr. C.V. Raman University

A meeting of the Board of Management was conducted on 16/08/2008 at Bilaspur. The following were present :-

S.NO.	Name		Sing.
1.	Dr. A.S. Zadgaonkar (Vice-Chancellor)	- Chair.	[signature]
2.	Dr. Satyendra khare	Member.	[signature]
3	Dr. O.P. Chandrakar	-"-	
4.	Shri Amitabh Saxena	-"-	[signature]
5.	Shri Rashid Khan	-"-	[signature]
6.	Shri Anuj Agnihotri	-"-	[signature]
7.	Shri Shailesh Pandey (Registrar)	Mem. Secr.	[signature]

The following was the agenda of this meeting :→

1. To take up resolution for seeking permission/recognition from Distance Education Council for distance education programmes of Dr. C.V. Raman University, kota, Bilaspur.

Agenda Item No.-1

Shri Shailesh Pandey, Registrar and Member secretary of Board of Management informed the members present about the recent development and activities of the University. He also informed that the University is

[signature] Dr. C.V. Raman University ★ Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) Registrar

... conducting the regular programm and in view of the Chhattisgarh Government orders for the College project can take up the distance education programme.

After considering the various aspects all the members showed their willingne to put the proposal for recognition for distance education programme to Distan Education Council, New-Delhi and also authorized the Deputy Registrar (Admin) to sign and submit the proposal/documents in this regard.

(Shri Shailesh Pandey)
Registrar &
(Member Secretary)

Dr. C.V. Raman University
Registrar
Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

(Dr. A.S. Zadgaonkar)
Vice.chancellor
&
(Chairman)

Dr. C.V.Raman University
Vice Chancellor
Bilaspur (C.G.)

Dr. C.V. Raman University
Registrar
Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 13 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु स्ववित्तीय विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं निगमन के लिए तथा उनके क्रियाकलापों के नियमन एवं तत्संबंधी विषयों या आनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय - एक : प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ द्वारा अपेक्षित न हो, -

(1) "शैक्षणिक परिषद्" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद्.

(2) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम 1987 की संख्या 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्.

(3) "भारतीय विधिज्ञ परिषद्" से अभिप्रेत है, एडव्होकेट एक्ट 1961 (क्र. 25 सन् 1961) की धारा 4 के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद्.

(4) "प्रबंधन मण्डल" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का प्रबंधन मण्डल.

(5) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति.

(6) "मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी.

(7) "दूरस्थ शिक्षा परिषद्" से अभिप्रेत है - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 (क्र. 50 सन् 1985) की धारा 28 के अधीन स्थापित दूरस्थ शिक्षा परिषद्.

(8) "विन्यास निधि" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय की विन्यास निधि.

(9) "शुल्क" से अभिप्रेत है, विद्यार्थियों से निजी विश्वविद्यालय द्वारा संकलित राशि, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जावे.

(10) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन.

Dr. C.V. Raman University
Registrar
Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

(11) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल.

(12) "शासी निकाय" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का शासी निकाय.

(13) "उच्च शिक्षा" से अभिप्रेत है, ज्ञानार्जन के लिए 10+2 स्तर से आगे निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यसंरचना का अध्ययन.

(14) "मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया" से अभिप्रेत है, इंडियन मेडिकल कौंसिल एक्ट 1956 (क्र. 2, सन् 1956) के अधीन गठित मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया.

(15) "मुख्य परिसर" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में स्थित निजी विश्वविद्यालयों के मुख्य परिसर, जिनके कम से कम पांच अध्यापन विभाग अथवा अध्ययन शालाएं हों और जहां कुलपति एवं कुलसचिव निवास करते हों तथा निजी विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय भी स्थित हो.

(16) "नेशनल कौंसिल ऑफ एसेसमेण्ट एण्ड एक्रेडिटेशन" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वशासी संस्थान नेशनल कौंसिल ऑफ एसेसमेण्ट एण्ड एक्रेडिटेशन, बैंगलौर.

(17) "दूर परिसर केन्द्र" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का ऐसा केन्द्र जो मुख्य परिसर से बाहर किन्तु राज्य के भीतर हो तथा जिसका संचालन एवं संधारण विश्वविद्यालय की इकाई के रूप में होता हो.

(18) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का अध्यादेश.

(19) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग.

(20) "निजी विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन स्थापित एवं संचा निजी विश्वविद्यालय.

(21) "फार्मेसी कौंसिल ऑफ इंडिया" से अभिप्रेत है, फार्मेसी अधिनियम 1948 (क्र. 8, सन् 1948) के अधीन गठित फार्मेसी कौंसिल ऑफ इंडिया.

(22) "नियामक अभिकरण" से अभिप्रेत है, केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन द्वारा स्थापित नियामक अभिकरण जो उच्च शिक्षा के मानक स्तर को सुनिश्चितता के लिए नियम व शर्तें निर्धारित करे.

(23) "विनियामक आयोग" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 36 के अधीन स्थापित विनियामक आयोग.

(24) [illegible] से अभिप्रेत है, [illegible] के अधीन [illegible]

(25) "कुल सचिव" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का कुल सचिव.

(26) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

(27) "अध्ययन केन्द्र" से अभिप्रेत है, दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों को परामर्श, मंत्रणा या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, संधारित या मान्यता प्राप्त केन्द्र जो कोई दो या दो से अधिक संचार माध्यमों जैसे रेडियो

Registrar
Dr. C.V. Raman University
Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

अध्याय - दो : निजी विश्वविद्यालय की स्थापना

निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

3. निजी विश्वविद्यालय के नीचे दर्शाए सामान्य उद्देश्य होंगे :-

(क) उच्च शिक्षा में अनुदेशन, अध्यापन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं शोध तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं विसरण का प्रावधान करना.

(ख) उच्चतर बौद्धिक क्षमता का सृजन करना.

(ग) शिक्षा एवं प्रशिक्षण की उन्नत सुविधाओं को सुलभ कराना.

(घ) अध्यापन तथा शोध कराना एवं शिक्षण कार्यक्रमों को निरंतर उपलब्ध कराते रहना.

(ङ) शोध एवं विकास तथा ज्ञान की सहभागिता एवं उसके अनुप्रयोग के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन करना.

(च) उद्योग एवं सार्वजनिक संस्थाओं हेतु परामर्श सेवा उपलब्ध कराना.

(छ) यह सुनिश्चित करना कि उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक उपलब्धियों हेतु मापदण्ड यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई., बी.सी.आई., एम.सी.आई., डी.ई.सी. या अन्य नियामक अभिकरणों द्वारा निर्धारित मानक स्तर से निम्नतर स्तर का न हो.

(ज) किसी ऐसे अन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना, जो समय-समय पर विनियामक आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा अनुमोदित हो.

निजी विश्वविद्यालय स्थापना के प्रस्ताव का प्रेषण.

4. (1) प्रायोजक निकाय द्वारा अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए परियोजना प्रतिवेदन आवेदन के साथ विनियामक आयोग को, निर्धारित शुल्क तथा ऐसे प्रारूप में जैसा कि विहित किया जाये, प्रस्तुत किया जावेगा.

(2) परियोजना प्रतिवेदन में निम्नलिखित जानकारी दी जावे अर्थात् :-

(क) प्रायोजक निकाय के पंजीकरण प्रमाणपत्र, संविधान तथा उपविधियों के व अन्य विस्तृत विवरण,

(ख) विगत 03 वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रायोजक निकाय के वित्तीय संसाधन की विस्तृत जानकारी,

(ग) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का नाम, स्थान तथा मुख्यालय,

(घ) निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य,

(ङ) भूमि, भवन तथा अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता,

(च) निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ होने के पहले परिसर विकास [illegible] तथा भवन निर्माण, अन्य संरचनात्मक सुविधायें एवं अधोसंरचनात्मक सुविधाएं तथा उपकरणों को प्राप्त करने आदि हेतु योजना साथ ही आगामी पांच वर्षों हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम की रूप-रेखा,

(छ) पूंजीगत व्यय का आगामी पांच वर्ष के लिए चरणबद्ध विवरण तथा वित्त व्यवस्था के स्रोत,

(ज) संकायों की प्रकृति एवं संख्या यथा: विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी शिक्षा आदि. पढ़े जाने वाले पाठ्यक्रमों के प्रकार जैसे- स्नातक, स्नातकोत्तर एवं निजी

Dr. C.V. Raman University ★ Registrar ★ Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक संकाय में किये जाने वाले प्रस्तावित शोध कार्यक्रम एवं राज्य के विकासात्मक लक्ष्यों के संदर्भ में एवं उनकी प्रासंगिकता तथा आगामी 5 वर्षों हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमानुसार प्रवेश देने वाले छात्रों की लक्षित संख्या,

(झ) संबंधित विधाओं में प्रायोजक निकाय को उपलब्ध अनुभव तथा विशेषज्ञता,

(ञ) अध्यापन किये जाने वाले पाठ्यक्रमों तथा शोध कार्य हेतु आवश्यक अकादमिक सुविधायें यथा : अध्यापक, तकनीकी / गैर-तकनीकी कर्मचारी एवं उपकरणों की उपलब्धता,

(ट) पाठ्यक्रम अनुसार या कार्यक्रम अनुसार आवर्ती व्यय का अनुमान तथा उपलब्ध वित्त के स्रोत तथा अनुमानित प्रति विद्यार्थी व्यय,

(ठ) संसाधनों को गतिमान करने की योजना एवं इस हेतु पूंजी की लागत तथा उसके ऐसी स्रोतों की भुगतान की प्रक्रिया,

(ड) आंतरिक स्रोतों जैसे छात्रों से शुल्क की वसूली परामर्श-सेवा एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से संबंधित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय से कोष-निर्माण की योजना,

(ढ) विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्तावित शुल्क ढांचा व्यय का विस्तृत विवरण, शुल्क में दी जाने वाली रियायत या छूट या परिहार तथा छात्रवृत्ति, यदि कोई हो, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति या अन्य पिछड़े वर्ग को दी जाने वाली छूट का विवरण,

(ण) निजी विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रस्तावित प्रक्रिया,

(त) निजी विश्वविद्यालय में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया,

(थ) दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित केन्द्र के नाम के साथ विस्तृत विवरण,

(द) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम तथा विशिष्ट अध्यापन, प्रशिक्षण व शोध गतिविधियों का विवरण,

(ध) कृषक, महिलाओं तथा विशेष रूप से इस राज्य में स्थित उद्योगों के लाभ हेतु चलाये जाने वाले कार्यक्रम,

(न) खेल मैदान तथा अन्य उपलब्ध या प्रस्तावित सुविधाओं का विवरण यथा: राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काऊट एवं गाईड का विवरण,

(प) दूर परिसर एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना विशेषकर राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में,

(फ) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता एवं औचित्य का प्रतिपादन,

प्रस्ताव का मूल्यांकन. 5. (1) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव परियोजना प्रतिवेदन के साथ प्राप्त होने के पश्चात् विनियामक आयोग प्रस्ताव में उल्लिखित तथ्यों की जांच-पड़ताल, जैसा कि आवश्यक समझेगा यथासंभव 07 दिनों में पूरी करेगा.

(2) जांच पड़ताल की अवधि में विनियामक आयोग किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है और ऐसी जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त, यथासंभव विनियामक आयोग 45

Dr. C.V. Raman University ★ Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) ★ Registrar

दिनों के भीतर परियोजना प्रस्ताव के मूल्यांकन का कार्य पूरा करेगा. मूल्यांकन करते समय विनियामक आयोग निम्नांकित बातों विचार में रखेगा :-

(क) जिस क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है वहां उच्च शिक्षा तथा शोध के क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएं,

(ख) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के पास यदि कोई विशिष्ट योग्यता या कोई नया पाठ्यक्रम या कार्यक्रम हों जो कि राज्य में उपलब्ध अकादमिक संसाधनों की वृद्धि करे एवं मानव संसाधन के विकास में मदद करें,

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के उन्नयन अथवा क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए व राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में दूरस्थ परिसर प्रारंभ करने हेतु निजी विश्वविद्यालयों का कार्यक्रम,

(घ) उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुलभ कराते हुए समाज सेवा एवं युवकों का कल्याण निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है.

आशय पत्र जारी करना.

6\. (1) धारा 5 में उल्लिखित जांच व मूल्यांकन पूर्ण करने के पश्चात् एवं इस बात से संतुष्ट होने पर कि प्रायोजक निकाय को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का अवसर दिया जा सकता है, विनियामक आयोग राज्य सरकार को प्रायोजक निकाय के हक में आशय पत्र जारी करने हेतु अनुशंसा करेगा.

(2) विनियामक आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर, राज्य सरकार प्रायोजक निकाय को आशय पत्र जारी करने पर विचार कर सकता है.

निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की शर्तें.

7\. धारा 6 (2) में उल्लिखित आशय पत्र में निम्नलिखित शर्तें सम्मिलित होंगी जो प्रायोजक निकाय को इस राज्य में एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये पूरी करनी होंगी, अर्थात्

(1) वह स्थापित करेगा :-

(क) छत्तीसगढ़ राज्य में ही मुख्य परिसर, दूर परिसर एवं अध्ययन केन्द्र,

(ख) इस अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप विन्यास निधि.

(2) वह [illegible] निम्नलिखित प्राप्त करेगा -

(क) [illegible] एकड़ भूमि यदि रायपुर नगर-निगम की सीमा के अंदर मुख्य परिसर [illegible] प्रस्तावित है,

(ख) 25 एकड़ भूमि यदि अन्यत्र मुख्य परिसर स्थापना प्रस्तावित है, तथा साथ ही वह इनके भू-स्वामित्व अभिलेख प्रस्तुत करेगा.

(3) वह प्रशासकीय कार्यों तथा अकादमी कार्यों के सम्पादन के लिए कम से कम 25,000 वर्गफीट का निर्मित क्षेत्र, भवनों तथा अन्य सहायक निर्माणों के रूप में उपलब्ध करायेगा.

(4) वह परिवचन देगा कि -

(क) यह कि निजी विश्वविद्यालय की भूमि तथा भवन का उपयोग केवल निजी विश्वविद्यालय के कार्यों हेतु ही किया जावेगा,

(ख) निजी विश्वविद्यालय के निगमन के तत्काल बाद तथा कक्षायें प्रारंभ होने के पूर्व पर्याप्त [illegible] शैक्षणिक संकाय सदस्यों तथा अन्य सहायक कर्मचारीवृंदों की नियुक्ति [illegible] स्थायी या [illegible] में कर दी जावेगी,

Dr. C.V. Raman University Registrar Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

(ग) पर्याप्त संख्या में उपकरण, कम्प्यूटर, फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक सामग्री सुलभ करायी जायेगी, तथा प्रथम पांच वर्षों में रुपये बीस लाख राशि प्रति वर्ष खर्च की जावेगी,

(घ) प्रथम वर्ष में कम से कम दस लाख की पुस्तकें तथा पत्रिकाएं क्रय की जावेगी तथा प्रथम तीन वर्ष में पचास लाख रुपये की राशि पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा कम्प्यूटर नेटवर्किंग तथा अन्य सुविधाओं पर व्यय की जावेगी जो कि ग्रंथालय में पर्याप्त समकालीन अध्यापन तथा शोध कार्य की जरूरतों के मुताबिक हो,

(ङ) नियमित पाठ्यक्रम से जुड़ी ऐसी गतिविधियों को संचालित किया जावेगा जिससे कि ऐसे उचित अकादमी तथा स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सके, उदाहरणार्थ संगोष्ठी, वाद-विवाद, प्रश्नमंच कार्यक्रम तथा अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियां जैसे कि एन.सी.सी., एन.एस.एस., खेल-कूद आदि, जो कि विद्यार्थियों के हित में हों तथा इस विषय की अधिकारिता रखने वाली संस्थाओं द्वारा समर्थित हों,

(च) निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों हेतु कल्याण कार्यक्रम चलाये जायेंगे,

(छ) केन्द्रीय नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर विहीत अन्य सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा एवं उनके द्वारा चाही गई समस्त जानकारियों को प्रदान किया जायेगा,

(ज) समय-समय पर केन्द्रीय नियामक निकायों द्वारा विहीत ऐसे न्यूनतम मापदण्डों का अनुपालन किया जायेगा, जो पाठ्यक्रम, संकायों, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं तथा वित्तीय संसाधनों से संबंधित है,

(झ) निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के अंत में दिये जाने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि या पत्रोपाधि यू.जी.सी. अथवा अन्य संबंधित निकायों के विनियमों/मापदंडों के अनुरूप होंगी,

(ञ) प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क निर्धारण नियामक निकाय द्वारा [illegible] मापदण्डों/दिशा-निर्देशों, यदि कोई हैं, के अनुरूप होंगे,

(ट) निजी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के पास यू.जी.सी. व अन्य संबंधित निकायों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हों तथा उन्हें उचित वेतन प्रदाय किया जावेगा,

(ठ) निजी विश्वविद्यालय सभी जाति, वर्ग, धर्म, वंश, लिंग के लिये खुला रहेगा एवं निजी विश्वविद्यालय के लिये यह वैधानिक नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक आस्था या व्यवसाय के कारण किसी भी प्रकार की पृथक परीक्षा से गुजारे, चाहे वह धर्म संबंधी हो या अन्य हो, या किसी व्यवसाय से संबंधित हो जिससे अध्यापक के रूप में उसकी नियुक्ति प्रभावित होती हो या अन्य किसी पद पर उसकी नियुक्ति प्रभावित होती हो, या विद्यार्थी के रूप में उसके प्रवेश को प्रभावित करती हो, या उसके किसी भी अधिकार से वंचित करती हो,

(ड) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत परिनियम, अध्यादेशों की स्वीकृति के बिना प्रवेश तथा कक्षाओं के संचालन का कार्य प्रारंभ नहीं किया जावेगा.

Dr. C.V. Raman University
Registrar
Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

(2) The University will inform the Regulatory Commission about the number of seats allocated in each course/ subject.

(3) The Regulatory Commission may cause inspection to ensure that there is adequate infrastructure, modern technologies, Online facility, Internet mode of teaching, standard of teaching etc; available in the University for running the courses according to the number of seats allocated. In case some deficiency is found during the inspection, the Regulatory Commission will inform the University to make up for the dificiencies within some specified period and to submit a compliance report with regard to suggestions/ observations made by the Inspection team.

STATUTE NUMBER 32

ANNUAL REPORT

(1) The Annual Report of the University shall be prepared by the Board of Management.

(2) The Report shall be placed for approval to the Governing Body.

(3) A copy of the Annual Report shall be presented to the Visitor and to the Regulatory Commission.

STATUTE NUMBER 33

"OFF-CAMPUS CENTRE(S)" AND "STUDY CENTRE(S)"

(1) The defination of "Off-Campus centre(s)" and "Study Centre(s)" would be as given in the Act.

(2) For creation of "Off-Campus centre(s)" and "Study Centre(s)", University shall follow the guidelines given in the "UGC(Establishment of and Maintenace of Standards in Private Universities) Regulations, 2003".

(3) The guidelines for monitoring and control of "Off-Campus centre(s)" and "Study Centre(s)" will be worked out by the Board of Management of the University, and shall be detailed in the Ordinances made for the purpose.

(4) Any amendment made from time to time in the UGC Regulation for the Private Universities shall be applicable.

STATUTE NUMBER 34

ACTION AGAINST TEACHERS

Where there is an allegation of misconduct against a teacher, the Vice- Chancellor shall constitute a Fact Finding Committee and, if necessary, based on the finding of the Committee, may institute an Inquiring Committee for the purpose.

Dr. C.V. Raman University
Kargi Road, Kota, Bilaspur